(7)

सं०प०९(26)कार्मिक/क-5/95 जयपुर, दिनांक 16 ... 995

समस्त जिला कलेक्टर। 38

विषय:- राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण - जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अनुदेश।

महोदय,

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना सं०प० 9(8)कार्मिक/क-5/90, दिनांक 28-9-93 के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 3 में उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को निर्दिष्ट किया गया है, जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त संलग्न अनुसूची के बिन्दु संख्या ।। राजकीय सेवाओं में कार्यरत ग्रुप-। एवं ग्रुप-2 के अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन के नियम वर्णित है। अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाकर कि अपवर्जन नियम के उक्त बिन्दु संख्या ।। में ग्रुप-। एवं ग्रुप-2 वर्गों में किस-किस स्तर के अधिकारी सम्मिलित होंगे, तत्सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित नहीं होने के कारण पात्रता प्रमाणीकरण में कठिनाई हो रही है, और इसलिए स्पष्टीकरण चाहे जाते रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में परीक्षण किया गया तथा परीक्षणोपरान्त अपवर्जन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के समकक्ष ग्रुप-। एवं ग्रुप-2 स्तर के अधिकारियों के मापदण्ड निर्धारण हेतु निम्न निर्णय लिया गया है:-

राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 के वेतनमान संख्या 16 (2200-4000) से 27 (5900 से 6700) हेतु प्रस्तावित पद ग्रुप-। के समकक्ष तथा राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 के वेतनमान सं० 13 (1640-2900) से 15 (2000-3500) हेतु प्रस्तावित पद ग्रुप-2 के समकक्ष होंगे।

कृपया इस सम्बन्ध में आपके अधीनस्थ जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों को तदनुसार निर्देश जारी कर, इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

शासन सचिव

ग.प.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2- सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।

3- विशिष्ठ सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

4- समस्त प्रमुख सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध संचालक/समस्त स्वायत्तशासी संस्था/बोर्ड/निगम आदि को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ विभिन्न नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को भी इससे अवगत कराने का कष्ट करें।

5- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

4- निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

5- निबन्धक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर।

उप शासन सचिव